



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1947 (श10)
(सं० पटना 1386) पटना, बृहस्पतिवार, 14 अगस्त 2025

सं० 11/वि० 11-34/2015—2274
शिक्षा विभाग

संकल्प
12 अगस्त 2025

विषय:— माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों जहाँ उपस्कर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तक, क्रीड़ा सामग्री एवं कम्प्यूटर आदि अधिष्ठापित है, उन विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मासिक मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

वर्तमान में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों जहाँ उपस्कर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तक, क्रीड़ा सामग्री एवं कम्प्यूटर आदि अधिष्ठापित है, उसकी सुरक्षा के लिए विद्यालयों में मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी कार्यरत हैं।

2. विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय में अस्थायी रूप से रखे गए रात्रि प्रहरी का मासिक मानदेय, विभागीय पत्रांक-988 दिनांक-18.06.2018 के द्वारा 1500/- (पन्द्रह सौ रुपये) से बढ़ा कर 5,000/- (पाँच हजार रुपये) किया गया।

3. विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरीयों को विद्यालय की समुचित देख-रेख की भावना प्रोत्साहित करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उनके मासिक मानदेय 5,000/- (पाँच हजार रुपये) से बढ़ा कर 10,000/- (दस हजार रुपये) करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. रात्रि प्रहरीयों को बढ़ा हुआ मासिक मानदेय, दिनांक- 01.08.2025 के प्रभाव से अनुमान्य होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमित कुमार पुष्पक,
उप सचिव।

The 12th August 2025

Subject :-Regarding increase in monthly honorarium of Night watchman working in Secondary / Senior Secondary schools where equipment, laboratory instrument, books, sports items and computers etc. are installed.

No.-11/Vi. 11-34/2015/2274—At present, Night watchmen are working on monthly honorarium for security of equipment, laboratory instrument, books, sports items and computers etc. at Secondary / Senior Secondary schools where these are installed.

2. The monthly honorarium of the Night watchmen temporarily kept at the schools by the managing committee of the school was increased from Rs. 1,500 /- (One thousand five hundred) to Rs. 5,000 /- (Five thousand) vide departmental letter no. 988 dated 18.06.2018.

3. In order to encourage the sense of overall security of the school and improve the standard of living of the Night watchmen working in the school, the State Government grants approval to increase their monthly honorarium from Rs. 5,000 /- (Five thousand) to Rs. 10,000 /- (Ten thousand).

4. The increased monthly honorarium to the Night Watchmen shall be applicable with effect from 01.08.2025.

ORDER: It is directed that this resolution be published in the Bihar State Gazette for information of the general public.

By order of the Governor of Bihar,
Amit Kumar Pushpak,
Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1386-571+10-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>